UPRB010035872026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–(अमिल पाल सिंह), (एच जे एस)–UP05691

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1503/2026

श्यामकली उर्फ प्रेमकली उम्र लगभग 60 वर्ष, पत्नी शिवनेवाज निवासी ग्राम निजाम पाकर मजरे मोहना थाना जायस, जिला अमेठी।

...आवेदक /अभियुक्ता

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

...विपक्षी/अभियोगी।

20–06–2026

आवेदक –अभियुक्ता **श्यामकली उर्फ प्रेमकली** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अपराध संख्या 58/2026, धारा–80,85 **भारतीय न्याय संहिता 2023, एवं ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम,** थाना **जायस,** जिला **अमेठी** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में इस आशय की दर्ज करायी गयी कि–वादी मुकदमा की लड़की ज्योति की शादी लगभग 5 साल पूर्व विपक्षी विनोद पुत्र शिवनेवाज के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुयी थी। शादी के बाद उसकी पुत्री ने वादी को फोन करके कहती थी कि उसके पति विनोद, प्रेमकली–सास, शिवनेवाज–ससुर आये दिन उसे मारते पीटते है और कहते है कि शादी में जो सुपर स्पेलेण्डर गाडी व सामान दिये है, वो ठीक नही है, मुझे बुलेट गाड़ी व मोटी सोने की चैन मांगते है। वादी की पुत्री को दिनांक 24–04–2026 को विपक्षीगण मारे पीटे थे जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के अनुक्रम में मृतका का पंचनामा किता किया गया और मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया। मामले में विवेचना प्रचलित है।

आवेदक–अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक–अभियुक्ता निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया हैं उसके द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक लगभग 16 दिन के विलंब से दर्ज करायी गयी है और विलंब का कोई स्पष्टी करण नही दिया गया है। उक्त मामले मे मृतका ज्योति का विवाह प्रार्थिनी/अभियुक्ता के पुत्र विनोद से दिनांक 05.03.2021 को हुआ था तब से लेकर मृत्यु होने तक मृतका प्रेम पूर्वक अपनी ससुराल मे रही इन 6 वर्षों के दौरान कभी भी अभियोजन

द्वारा दहेज की मांग के बावत या प्रताडना के संबंध में कोई भी शिकायती प्रार्थनापत्र किसी भी थाना या कही पर भी नही दिया गया है। प्रार्थिनी का पुत्र घर पर ही रह कर किसानी व मजदूरी का काम करता है और अभियोगी भी ठेला लगाते है दोनो पक्षकार काफी गरीब है व विवाह के समय भी कोई मांग नही हुई थी। प्रार्थिनी/अभियुक्ता का पति शिवनेवाज अहमदाबाद मे कृष्णा बोरिंग बर्क्स मे बोरिंग का कार्य करता है और लगभग 20 वर्षों से वही पर रहता है। मृतका ज्योति को बच्चेदानी में सिष्ट की समस्या थी और 6 वर्षो से कोई संतान न होने के कारण वह परेशानी रहती थी व डिप्रेशन में थी। मृतका के साथ कभी भी कोई दहेज की मांग के बाबत प्रताड़ना नही की गयी और न ही मृत्यु के पूर्व उसे किसी प्रकार से प्रताड़ित किया गया। मृतका के परिजन उसके द्वारा आत्महत्या किये जाने के पश्चात् लगाता अवैध धन की मांग करते रहे जो पूरी न होने पर झूठी तहरीर के आधार पर फर्जी फंसा दिया गया है। उक्त मामले में सामान्य आरोप लगाया गया है। दिनांक 26.04.26 को छोटी बेटी का तिलक व 5.5.26 को शादी थी सभी परिवार के लोग बेटी के तिलक संबंधी खरीरदारी में व्यस्त थे पति शिवनेवाज बैंक गये थे बेटा विनोद सिलेण्डर व अन्य सामान लेने के लिए बाहर गया था प्रार्थिनी भी अपने पति के साथ गयी थी। घर पर सिर्फ मृतका ज्योति ही थी जो अपनी बीमारी व बच्चे न होने के कारण डिप्रेशन मे थी उसके साथ किसी भी तरह की मारपीट नही हुई थी। जानकारी होने पर घर के लोग मृतका को लेकर लोधवरिया हास्पिटल गये और बेड नं0 207 में भर्ती कराया वहां पर वह छिपकली–छिपकली कह रही थी दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गयी। प्रार्थिनी के पुत्र ने मृतका के परिजनो को पूरी सूचना दी वह लोग आये और पंचायतनामा व पोस्टमार्टम मे सम्मिलित रहे और कोई कार्यवाही नही की लगभग 16 दिनो के पश्चात उक्त मामले मे मारपीट का कथन करते हुए रिपोर्ट दर्ज करायी है चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन कथानक का समर्थन नही करते है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता लगभग 60 वर्ष की ग्रामीण परिवेश की पर्दानसीन महिला है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता का पूर्व का कोई भी अपराधिक इतिहास नही है। आवेदक–अभियुक्ता दिनांक 11–05–2026 से जेल में निरूद्ध है। आवेदक–अभियुक्ता अपनी विश्वसनीय जमानत देने को तैयार हैं। वह जमानत का दुरूपयोग नही करेगा। तद्नुसार आवेदक–अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली व वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक –अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्ता है और मृतका की सास है। मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर असामान्य व अप्राकृतिक रूप से ससुराल में कारित हुयी है। विवेचना में इस बात की साक्ष्य संकलित हुयी है कि मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा है और अन्ततः उसको मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य में आवेदक–अभियुक्ता की प्रश्नगत घटना में पूर्ण संलिप्तता पायी गयी है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

अभियोजन कथानक व आवेदक–अभियुक्ता द्वारा लिए गए बचाव से यह तथ्य विवादित नही है कि आवेदक–अभियुक्ता को मात्र मृतका की सास होने के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में बतौर अभियुक्त नामित किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि मृतका के शरीर पर कोई किसी प्रकार चोट नही पायी गयी और मृत्यु का कारण भी

संदर्भित नही किया जा सका है। विवेचक द्वारा बनाये गये नकशा नजरी से आवेदक–अभियुक्ता का अपने पुत्र व मृतका से अलग निवास होना व अलग निवास करते चला आना पूर्णतः स्पष्ट है और कथित दहेज उत्पीड़न के बाबत मृतका या मृतका के परिवारीजन द्वारा किसी भी स्तर पर 6 वर्षों के वैवाहिक जीवन में कभी कही कोई शिकायत या अन्य कोई कार्यवाही नही गयी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है।

जहाँ तक आवेदक–अभियुक्ता की ओर से लिये गये उपरोक्त बचावों का प्रश्न है, अभियोजन कथानक व विवेचक द्वारा अभी तक एकत्र साक्ष्य से वादिनी की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक रायबरेली के हस्तक्षेप किये जाने पर दर्ज होना परिलक्षित होता है ऐसे में प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज होने का कोई लाभ आवेदक–अभियुक्ता के पक्ष में नही दिया जा सकता है। आवेदक–अभियुक्ता पर अपनी पुत्र व पति के साथ बुलेट गाड़ी व मोटी सोने की चैन की माँग को लेकर वादी की पुत्री मृतका को उत्पीड़ित किये जाने व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वादी की पुत्री के विवाह के 7 वर्ष की समयावधि के अन्दर सन्देहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु होना पाया गया है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत आवेदक–अभियुक्ता को जमानत दिये जाने के आधार पर्याप्त नही पाता हूँ। तदानुसार आवेदक–अभियुक्ता का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक–अभियुक्ता **श्यामकली उर्फ प्रेमकली** की ओर से अपराध संख्या 58/2026, धारा–80,85 **भारतीय न्याय संहिता 2023, एवं ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम,** थाना **जायस,** जिला **अमेठी** में प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(अमित पाल सिंह)
UP05691
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
20–06–2026

Renu Srivastava
Stenographer

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.07.01 10:51:12 IST
Reason: Document Owner,Order
Location: District and Sessions Court,Raebareli